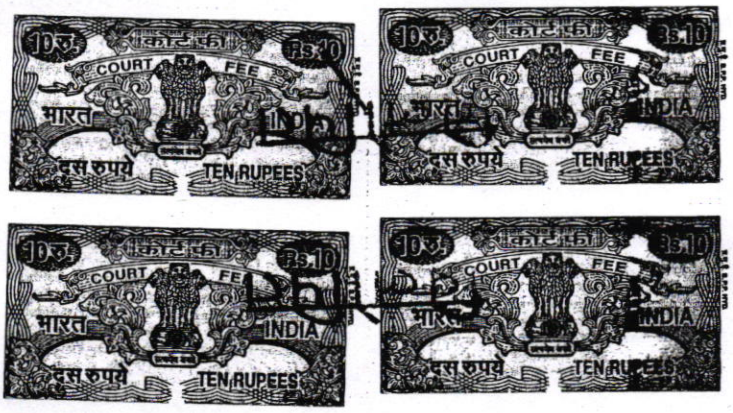

PBR/अपराधी/रतलाम/भूराज/2018/0241

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018
प्रस्तुत दिनांक 05 .01.2018

श्री राजेश व्यास द्वारा आज 9-1-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-2-18 नियत।

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर, केम्प उज्जैन म.प्र.

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1— बद्रीलाल पिता स्व.अमृतराम पाटीदार,
आयु—51 वर्ष ,धंधा — खेती, जाति— कुलम्बी

2— लीलाबाई पति स्व भेरूलाल पाटीदार
आयु—73 वर्ष, लगभग, धंधा— खेती, जाति— कुलम्बी

3— अनोखीलाल पिता स्वं भेरूलालजी पाटीदार
आयु— 38 वर्ष,धंधा— खेती, जाति—कुलम्बी

4— नानालाल पिता स्व. भेरूलालजी पाटीदार
आयु— 35 वर्ष लगभग, धंधा— खेती, जाति— कुलम्बी,

5— बंकट पिता स्व. भेरूलालजी पाटीदार
आयु— 33 वर्ष, धंधा— खेती जाति—कुलंबी

6— हरिश पिता स्व. भेरूलालजी पाटीदार
आयु— 31 वर्ष, धंधा— खेती, जाति— कुलम्बी,
सभी निवासीगण— ग्राम नोगांवा जागीर
तह. व जिला रतलाम म.प्र. ....याचिकाकर्तागण

वि रू द्व

कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जी पाटीदार,
आयु — 41 वर्ष, धंधा— खेती, जाति— कुलम्बी,
निवासी — ग्राम नोगावां जागीर तहसील व जिला रतलाम...................प्रत्यर्थी

//पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता//

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रतलाम (म.प्र.) नेहा भारतीय के समक्ष लंबित अपील प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2013—14 कन्हैयालाल विरूद्ध बद्रीलाल आदि में पारित प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 28.12.2017 एनेक्सर पी—1 एवं प्रोसेडिंग दिनांक 05.01.2018 तथा दुषित प्रक्रिया अपनाये जाने से असंतुष्ट होकर एवं औचित्य एवं वैधता के संबध मे सदर पुनरीक्षण।

निरन्तर....02

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/0241

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/07/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों के तर्क सुने गए। उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा धारा 49 पी एवं धारा 32 भू-राजस्व संहिता के आवेदन को आदेश पत्रिका दिनांक 24.06.2014 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन का पूर्व में निराकरण किए जाने के कारण उक्त आवेदन का निराकरण नहीं किया जाना आवश्यक नहीं मानने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश 27 नियम 41 सीपीसी व धारा 151 जा0दी0 का आवेदन स्वीकार करते हुए वाद क्र. 77ए/2017 निर्णय दिनांक 12.09.2017 को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मों हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	